न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास गोविंद सिंह भींचर, आर.ए.एस

करण संख्या: 106/2016 दावा

दनलाल पुत्र छगनलाल खटीक आयु वयस्क जाति खटीक निवासी मगनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– वादी

बनाम

1. झाबरमल (फौत)
   1/1 मनभरी पत्नि स्व झाबरमल
   1/2 सुभाष पुत्र स्व. झाबरमल
   1/3 महेन्द्र पुत्र स्व. झाबरमल
   1/4 राजेश पुत्री स्व. झाबरमल
2. मूलचंद पुत्र स्व. बोदूराम
3. बालूराम पुत्र स्व. बोदूराम
4. पन्ना देवी पत्नि स्व बोदूराम (फौत)
   4/1. मूलचन्द पुत्र स्व. पन्ना देवी
   4/2. बालूराम पुत्र स्व. पन्ना देवी
   4/3. कमला देवी पुत्र स्व. पन्ना देवी
   4/4. बिदामी देवी पुत्री स्व. पन्ना देवी
5. श्रवणराम पुत्र छोटूराम
6. जगनाराम पुत्र छोटूराम
7. सोनाराम पुत्र छोटूराम
8. दूदाराम पुत्र छोटूराम
9. भंवरलाल पुत्र छोटूराम
10. जुवाहरा पुत्र छोटूराम
    समस्त जाति जाट निवासीगण न्याम (मगनपुरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज.
11. घनश्याम पारीक पुत्र गोपाल लाल पुरोहित जाति वार्ड नम्बर 2 सिरसी जयपुर (हजफ)
12. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय दांतारामगढ़ जिला सीकर।
13. पटवारी पटवार हल्का कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
14. तहसीलदार महोदय, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
15. अमित पारीक दत्तक पुत्र घनश्याम निवासी वार्ड नम्बर 2 सिरसी जयपुर राज (हजफ)
16. सुरेश कुमार पुत्र पोखरमल जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 15, महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना।
17. मूलचन्द पुत्र भगताराम जाति जाट निवासी ग्राम लामियां तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

18. राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र प्रभुदयाल जाति ब्राह्मण निवासी गोरधनपुरा तहसील व जिला नीमकाथाना।

19. अनिल कुमार पुत्र फूलचन्द जाति जाट निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील व जिला नीमकाथाना।

20. सुशील अग्रवाल पुत्र किशोरीलाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 19, खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

21. सीताराम मावलिया पुत्र रुपाराम मावलिया जाति जाट निवासी ग्राम सीतारामपुरा तन खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

22. जग्गुराम जिजवाडिया पुत्र मोतीराम जिंजवाडिया जाति जाट निवासी ग्राम लामियां तहसील दातारामगढ जिला सीकर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बटंवारा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति–

1. श्री योगेश शर्मा वकील वादी की ओर सें।
2. श्री बन्शीधर बाज्या वकील प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/3, 2, 3, 5 ता 10 की ओर से।
3. श्री रतनलाल पलसानियां वकील प्रतिवादीगण संख्या 16 लगायत 22 की ओर सें।
4. श्री मुकेश पारिक वकील प्रतिवादी संख्या 1/4, 4/3, 4/4 की ओर सें।
5. प्रतिवादीगण संख्या 12 लगायत 14 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।
6. प्रतिवादीगण संख्या 11 व 15 का नाम हजफ किया गया।

निर्णय दिनांक – 05.09.2024

ादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जालूण्ड पटवार हल्का कैलाश गिरदावर ल्का बाय तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 726 कबा 8.06 हैक्टर खसरा नम्बर 726/1034 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 727 रकबा .09 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 8.32 हैक्टर अवस्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादीगण ंख्या 1 ता 11 के संयुक्त शामलाती कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। जिसको वाद पत्र में ागे वादग्रस्त कृषि भूमि कहा जायेगा। वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का ाज तक वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के मध्य कानूनी रूप से बंटवारा बाई मेट्स एण्ड बाउन्ड्स नहीं हो रखा है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 ने आपसी सहमति से मौखिक रूप से बंटवारा कर रखा है। जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 काश्त कर रहे हैं। वादी अपने हिस्से की कृषि भूमि को और अधिक उपयोगी व उपजाऊ बनाने हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है. इसलिए

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

वादी ने प्रतिवादीगण से वादग्रस्त सम्पदा का विधिवत बंटवारा करवाने हेतु कई दफा निवेदन किया है, जिसके लिए प्रतिवादी वादी को आश्वासन देते रहे हैं। अर्सा करीब 15 रोज पूर्व वादी ने पुनः प्रतिवादीगण से वादग्रस्त सम्पदा का न्यायालय के माध्यम से बंटवारा करवाने हेतु निवेदन किया जिसके लिए प्रतिवादीगण ने वादी को स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। जिसका प्रतिवादीगण को कानूनी अधिकार नहीं है। वादी वादग्रस्त भूमियो का मौके पर कब्जा अनुसार न्यायालय के माध्यम से बंटवारा करवा कर अपना हिस्सा अलग करवाने तथा अपना खाता अलग करवाने व अलग से लगान निर्धारित करवाने का अधिकारी है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है। अर्सा करीब 15 रोज पूर्व वादी जब वादग्रस्त कृषि भूमि पर कार्य कर रहा था, तब प्रतिवादीगण एक साथ एक राय हो कर वादग्रस्त कृषि भूमि पर आ गये तथा वादी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी की एवं वादी को एलानियां धमकी दी कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि वर्णित मद संख्या 1 का बिना बंटवारा करवाये दिगर व्यक्तियों को बेचान कर देंगे। यह स्पष्ट आशंका पैदा हो गयी कि यदि प्रतिवादीगण अपनी इस कुचेष्टा में सफल हो गये तो वादी को इस कदर असीम क्षति होगी, जिसकी तलाफी भविष्य में किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं है, इसलिए वादी, प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारी है कि प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का दौराने दावा किसी को बेचान नहीं करे, रहन नहीं रखे, तथा मौका व रिकार्ड की स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाना सादर प्रार्थनीय है। वादी को वाद कारण 01.06.2016 को तब उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादीगण ने वादी को वादग्रस्त भूमि को दिगर व्यक्ति को बिना विधिवत बंटवारा करवाये ही बेचान करने की धमकी दी, तब से वाद कारण लगातार जारी है। अन्त में यह इस्तदुआ चाही कि वादग्रस्त कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य उनके जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर वर्तमान कब्जा अनुसार विधिक रूप से बंटवारा कर वादी के खाता, खसरा नम्बर अलग अलग कायम किये जावे तथा वादी का लगान भी अलग निर्धारित किया जाकर खातेदार उद्घोषित किया जाकर समस्त राजस्व रिकार्ड में इसका इन्द्राज कर राजस्व रिकार्ड संशोधन किया जावे तथा प्रतिवादीगण जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित सम्पदा का दौराने वाद वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

सम्पदा को दिगर व्यक्तियों को बेचान करने, किसी भी प्रकार से हस्तानान्तरण करने, खुर्द बुर्द करने, निर्माण करने, भौतिक स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने, वादी के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से प्रतिवादीगण स्वयं व परिवारजन, एजेन्ट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना प्रार्थनीय है।

वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/3, 2, 3, 5 लगायत 10 की ओर से वकील श्री बंशीधर बाज्या, प्रतिवादीगण संख्या 16 लगायत 22 की ओर से वकील श्री रतनलाल पलसानियां हाजिर। प्रतिवादी संख्या 1/4, 4/3 व 4/4 की ओर से वकील श्री मुकेश पारिक हाजिर। प्रतिवादीगण संख्या 11 व 15 का नाम हजफ किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 12, 13, 14 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओ द्वारा विधिवत बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किया जाने पर सहमति जाहिर की। वादपत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण द्वारा बंटवारा बाबत सहमति प्रकट किये जाने से वाद विवाधक कायम नहीं किये जाकर वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण के निवेदन व सहमति पर वाद को प्रारम्भिक रुप से डिक्री कर तहसीलदार दांतारामगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस प्राप्त हुआ। वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण ने प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं कर प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी हेतु सहमति जाहीर की। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। पत्रावली एवं बंटवारा प्रस्ताव के समग्र अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपने हक हिस्सा का रेकार्ड अनुसार वाद में वर्णित खसरा नम्बरों का By Meats & Bounds बंटवारा चाहा है। वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण की सहमति से वाद प्राथमिक रुप से डिक्री किया जाकर मौके का बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। बंटवारा प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

तहसीलदार दांतारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव राजस्व मण्डल विभाजन नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुकूल पाये जाने से उपरोक्त विवेचनानुसार प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव में तथ्यात्मक व विधिक दृष्टि से कोई त्रुटि नहीं होने से वादी का वाद मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 15 अमित पारीक द्वारा हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 22 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से बेचान किया जा चुका है। अतः प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव में अमित पारीक को प्रस्तावित भूमियों का प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 22 को प्रस्तावित माना जावें तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में मुताबिक डिक्री इन्द्राज करे व बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। प्रतिवादीगण स्वयं को मय वारिशान, परिजन, एजेंट को जरिये स्थायी निशेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वादी को बंटवारे में प्राप्त कृषि आराजियात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने, कृषि कार्य में अवरोध उत्पन्न करने, नींव सींव खुर्द बुर्द करने, पैड पौधे काटने, मौका सुरत में तब्दिली करने से बाज रहे। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे। डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार दांतारामगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह भीचर)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

ायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास गोविंद सिंह भींचर, आर.ए.एस

करण संख्याः 106/2016 दावा

दनलाल पुत्र छगनलाल खटीक आयु वयस्क जाति खटीक निवासी मगनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जेला सीकर।

– वादी

बनाम

1. झाबरमल (फौत)
   1/1 मनभरी पत्नि स्व झाबरमल
   1/2 सुभाष पुत्र स्व. झाबरमल
   1/3 महेन्द्र पुत्र स्व. झाबरमल
   1/4 राजेश पुत्री स्व. झाबरमल
2. मूलचंद पुत्र स्व. बोदूराम
3. बालूराम पुत्र स्व. बोदूराम
4. पन्ना देवी पत्नि स्व बोदूराम (फौत)
   4/1. मूलचन्द पुत्र स्व. पन्ना देवी
   4/2. बालूराम पुत्र स्व. पन्ना देवी
   4/3. कमला देवी पुत्र स्व. पन्ना देवी
   4/4. बिदामी देवी पुत्री स्व. पन्ना देवी
5. श्रवणराम पुत्र छोटूराम
6. जगनाराम पुत्र छोटूराम
7. सोनाराम पुत्र छोटूराम
8. दूदाराम पुत्र छोटूराम
9. भंवरलाल पुत्र छोटूराम
10. जुवाहरा पुत्र छोटूराम
    समस्त जाति जाट निवासीगण न्याम (मगनपुरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज.
11. घनश्याम पारीक पुत्र गोपाल लाल पुरोहित जाति वार्ड नम्बर 2 सिरसी जयपुर (हजफ)
12. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय दांतारामगढ़ जिला सीकर।
13. पटवारी पटवार हल्का कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
14. तहसीलदार महोदय, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
15. अमित पारीक दत्तक पुत्र घनश्याम निवासी वार्ड नम्बर 2 सिरसी जयपुर राज (हजफ)
16. सुरेश कुमार पुत्र पोखरमल जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 15, महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना।
17. मूलचन्द पुत्र भगताराम जाति जाट निवासी ग्राम लामियां तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

18. राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र प्रभुदयाल जाति ब्राह्मण निवासी गोरधनपुरा तहसील व जिला नीमकाथाना।

19. अनिल कुमार पुत्र फूलचन्द जाति जाट निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील व जिला नीमकाथाना।

20. सुशील अग्रवाल पुत्र किशोरीलाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 19, खाटुश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

21. सीताराम मावलिया पुत्र रुपाराम मावलिया जाति जाट निवासी ग्राम सीतारामपुरा तन खाटुश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

22. जग्गुराम जिजवाडिया पुत्र मोतीराम जिंजवाडिया जाति जाट निवासी ग्राम लामियां तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बटंवारा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती

परिथति–

श्री योगेश शर्मा वकील वादी की ओर सें।

श्री बन्शीधर बाज्या वकील प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/3, 2, 3, 5 ता 10 की ओर से।

श्री मुकेश पारिक वकील प्रतिवादी संख्या 1/4, 4/3 व 4/4 की ओर से।

श्री रतनलाल पलसानियां वकील प्रतिवादीगण संख्या 16 लगायत 22 की ओर सें।

प्रतिवादीगण संख्या 12 लगायत 14 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रतिवादीगण संख्या 11 व 15 का नाम हजफ किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, दांताशमगढ

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' – 1)

अजअदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

इजलास गोविन्द सिंह भींचर, आर.ए.एस

मदनलाल बनाम झाबरमल

दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निशेधाज्ञा

मुकदमा नं0 106 / दावा सन् 2016 निर्णय दिनांक 05.09.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू गोविन्द सिंह भींचर आर.ए.एस बहाजरी श्री योगेश र्मा मिनजानिबमुद्दई व बहाजरी श्री बंशीधर बाज्या, श्री मुकेश पारिक, श्री रतनलाल पलसानिया नजानिबमुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि तहसीलदार दांतारामगढ के पत्रांक भू.अ. '2024 / 3663 दिनांक 11.07.2024 के द्वारा ग्राम जालुण्ड प0ह0 कैलाश तह0 दांतारामगढ का प्राप्त टवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती है :–

ं. ं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान रूपये में
	अमित पारीक दत्तक पुत्र घनश्याम पारीक निवासी वार्ड नं. 2 सिरसी, जयपुर खातेदार	726 / 1	4.1600	बंजड	8.32
		किता 1	4.1600	–	8.32
	श्रवणराम, जगनाराम, सोनाराम, दूदाराम, भंवरलाल, जुवाराराम पुत्र छोटूराम जाति जाट हिस्सा बराबर सा.न्याय (मगनपुरा) खातेदार	726 / 2	1.2966	बंजड	2.59
		727	0.0900	चाही–2	2.34
		किता 2	1.3866		4.93
	बालूराम पुत्र बोदुराम हि. 4160 / 13867 राहिन P.N.B शाखा खाटूश्यामजी मूलचन्द पुत्र बोदूराम हि. 4160 / 13867 राहिन BRKGB शाखा बाय कमला देवी पुत्री बोदूराम हि. 99 / 1981 बिदामी देवी पुत्री बोदूराम हि. 99 / 1981 राहिन मनभरी देवी पत्नि झाबरमल हि. 1329 / 13867 BRKGB शाखा बाय राहिन महेन्द्र कुमार पुत्र झाबरमल हि.1329 / 13867 P.N.B शाखा खाटूश्यामजी राहिन सुभाषचन्द पुत्र झाबरमल हि. 1329 / 13867 P.N.B शाखा खाटूश्यामजी, राजेश जाट पुत्री झाबरमल हिस्सा 174 / 13867 समस्त जाति जाट सा. न्याय (मगनपुरा)	726 / 3	1.3867	बंजड	2.78
		किता–1	1.3867		2.78
4	मदनलाल पुत्र छीगनलाल जाति खटीक सा. मगनपुरा खातेदार	726 / 4	1.2167	बंजड	2.43
		726 / 1034	0.1700	बंजड	0.34
		किता–2	1.3867		2.77

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो तथा प्रतिवादी संख्या 15 अमित पारीक द्वारा हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 22 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से बेचान किया जा चुका है। अतः प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव में अमित पारीक को प्रस्तावित भूमियों का प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 22 को प्रस्तावित माना जावें।

बीज ....—.... मुबलिग ....—.... बाबत ....—.... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह —.... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूल याबी तक ....—.... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.09.2024 को जारी की गई।

मोहर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ (सीकर)

दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्पअर्जीदावा	6	00	स्टाम्पवकालतनामा	1	00
स्टाम्पवकालतनामा	1	00	स्टाम्पअर्जी		
स्टाम्पवजहसबूत	–	–	मेहनतानावकीलपर ...		
मेहनतानावकील	–	–	खर्चागवाहान		
खर्चागवाहान	–	–	फीसकमिश्नर		
फीसकमिश्नर	–	–	बाबतइजराय हुक्मनामा		
बाबतइजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेन का, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो, या नहीं, दर्जकरनाचाहिए।

(गोविन्द सिंह भींचर)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ